भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2788

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी

2788. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत ने आज की तारीख तक अन्य देशों को कोयला निर्यात किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय कोयले के प्रमुख बाजारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) भारत के स्वच्छ कोयला भंडार की अनुमानित क्षमता कितनी है; और

(च) देश में कोल बेड मीथेन की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): देश में कोयला उत्पादन को बढ़ाने देने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास

और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)।

v. राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi. कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि को कम करने, मासिक भुगतान के सापेक्ष अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत उदार हैं।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, सतत खनिकों (सीएम) लांगवॉल (एलडब्ल्यू) तथा हाईवॉल (एचडब्ल्यू) की तैनाती के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) जैसी नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपना रही है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास अपने उच्च-क्षमता वाले एक्सकेवेटरों और डंपरों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पहले से ही मौजूद है। ओपनकास्ट खानों में हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का मानकीकरण किया गया है। दक्षतापूर्ण और पारिस्थितिकी-अनुकूल खनन के लिए ओपनकास्ट खानों में सतही खनिकों की तैनाती भी की गई है। इसकी मेगा खानों में से 7 में पायलट स्केल पर डिजिटल बदलाव किए गए हैं।

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी), क्रशर,

मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (मई, 2025 तक) के दौरान देश द्वारा किया गया कोयला निर्यात निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	कोयला निर्यात मात्रा
2022-23	1.166
2023-24	1.545
2024-25 (अनंतिम)	1.908
2025-26 (मई, 2025 तक) (अनंतिम)	0.328

(ग): देश में उत्पादित अधिकांश कोयले की खपत घरेलू स्तर पर ही की जाती है। देश में कोयला उपयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्र विद्युत (कैप्टिव विद्युत उत्पादन सहित), इस्पात, सीमेंट, स्पंज-आयरन और उर्वरक हैं।

(घ): सरकार ने स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. वाणिज्यिक खनन योजना के अंतर्गत, वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों में गैसीकरण में प्रयुक्त कोयले के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% की छूट शुरू की गई है, बशर्ते कि कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए।

ii. सरकार ने कोयला गैसीकरण पहल में सहायता के लिए गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामियों के अंतर्गत 'कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस का उत्पादन' नामक एक उप-क्षेत्र सृजित किया है। स्वच्छ कोयला पहलों को ध्यान में रखते हुए, इस उप-क्षेत्र के लिए लिंकेज नीलामी का न्यूनतम मूल्य विनियमित क्षेत्र के रन ऑफ माइन (आरओएम) मूल्य के रूप में रखा गया है और सात वर्षों की अवधि के भीतर चालू होने वाली कोयला गैसीकरण परियोजनाओं पर लागू है।

iii. देश में कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए, व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) प्रदान करने हेतु ₹8500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के हिस्से के रूप

में सरकार द्वारा सात परियोजनाओं (पीएसयू के संयुक्त उद्यम के लिए तीन और निजी क्षेत्र में चार) को मंजूरी दी गई है।

iv. भारत सरकार ने सितंबर, 2016 में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) नीति अधिसूचित की है ताकि यूसीजी का विकास किया जा सके जिससे कठिनता से खनन किए गए कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके।

v. भारत सरकार ने सीबीएम के विकास के लिए 1997 में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति बनाई थी। इस नीति के अनुसार, देश में सीबीएम के विकास के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रशासनिक मंत्रालय बनाया गया तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को नोडल एजेंसी बनाया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय के परामर्श से कोयला धारक क्षेत्रों से सीबीएम ब्लॉकों को चिन्हित किया है और उन्हें ऑफर किया है। सीबीएम नीति, 1997 में आंशिक संशोधन करते हुए, दिनांक 08.05.2018 की अधिसूचना के तहत, भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारक क्षेत्रों, जिसके लिए उनके पास कोयला खनन के अधिकार हैं, में सीबीएम के अन्वेषण और दोहन के अधिकार प्रदान किए।

vi. सरकार कोयला वॉशरियों की स्थापना करके देश में कोकिंग कोयले के परिष्करण को भी बढ़ावा दे रही है।

(ङ.): स्वच्छ कोयला भंडार का अनुमान लगाने के लिए कोई विशिष्ट अवधारणा नहीं है। हालाँकि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा प्रकाशित "भारतीय कोयला और लिग्नाइट संसाधन - 2024" के अनुसार, दिनांक 01.04.2024 तक देश में कुल अनुमानित कोयला संसाधन 3,89,421.34 मिलियन टन है।

(च): हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक देश में अनुमानित कोल बेड मीथेन संसाधन लगभग 2,600 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है।

****